कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक—1559/12-1 : देहरादूनः दिनांकः 5 फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय , 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय — उत्तराखण्ड़ राज्य के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंर्तगत जामक बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.318 है0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबध मे।

संदर्भ— भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/105/2017/एफ0सी0/944, दिनांक 17.10.2023

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती के पत्र संख्या—1408/12—1,दिनांक—18.01.2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र सं0—2660/12—1, दिनांक—25.01.2024(प्रति संलग्न) के द्वारा बिन्दुवार इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :—

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The State Government is requested to submit the point wise complianc of stage I approval dated 26.06.2018.	वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक—01)
2	As the stage I was accorded 5 years ago, the State Government is requested to deposite the balance amount of NPV as per the new rates.	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड़ नोट प्रेषित किया गया है। जिसके अनुपालन में याचक विभाग द्वारा रू0 1155360.78 की धनराशि वन विभाग के कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।(संलग्नक—02)।
3	It is also requested to submit the details of all the violation, penalty imposed by forest department, amount deposited against these penalties, action taken against the officials responsible for the violation.	विषयगत मोटर मार्ग में याचक विभाग अथवा संबधित ठेकेदार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अथवा वन अधिनियम 1927 के तहत किये गये उल्लघंन एवं उसके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है। (संलग्नक—03)। वन विभाग के द्वारा उक्त मोटर मार्ग में हुए उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ की

		गयी कार्यवाही का विवरण– विषयगत मोटर मार्ग इस वन प्रभाग की मुखेम रेंज के जामक अनुभाग में प्रस्तावित है, यद्यपि संबधित तत्कालिक अनुभाग अधिकारी एवं वन बीट अधिकारी द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के दौरान याचक विभाग, संबधित ठेकेदार एवं ग्रामीणों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 का अनुपालन न करने के क्रम में उनके विरूद्ध संगत धाराओं में वन अपराध जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी थी, परन्तु क्षेत्र में लगातार गस्त न करने एवं कड़ी निगरानी न रखने के कारण तत्कालिक अनुभाग अधिकारी श्री भगवती प्रसाद उनियाल तथा तत्कालिक वन बीट अधिकारी श्री हरदेव प्रसाद अवस्थी को कार्य में लापरवाही के दृष्टिगत प्रभागीय कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया था। याचक विभाग के द्वारा उक्त मोटर मार्ग में हुए उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।**(संलग्नक–4)**

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या : 1559/ 12-1/ तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़ मुनिकीरेती
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

(आर0के0मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड़,देहरादून।